

दिनांक 03.09.2021 को निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा निदेशालय तथा राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना के कर्मियों के कार्यों की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :- यथा संधारित।

कार्यवाही :-

अधोहस्ताक्षरी द्वारा भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय तथा राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान के कर्मियों द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों के साथ-साथ पूर्व की समीक्षात्मक बैठकों में दिये गए निदेश के अनुपालन की निम्नवत समीक्षा की गयी :-

1. प्रिन्टिंग (छपाई/वितरण) संबंधी कार्य :-

(क) वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन -

उक्त के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन की 1000 प्रतियाँ निदेशालय को उपलब्ध करा दी गयी है। इसके वितरण के संबंध में निदेश दिया गया कि पूर्व की तरह इस बार भी वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन के वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। सभी बन्दोबस्त कार्यालयों, सभी जिला समाहर्ताओं, सभी विभागों आदि में भी इसकी प्रति उपलब्ध करायी जाय।

उक्त के अतिरिक्त वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन की प्रति Flipbook के रूप में वेबसाइट पर अपलोड करने का निदेश आईटी0 कोषांग को दिया गया। अपलोड किये गए वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन के Flipbook के नीचे वर्ष भी अंकित किया जाय।

(ख) मार्बल व मैजिक -

(i) जिलों में आपत्ति/दावा की सुनवाई प्रारंभ हो चुकी है। ऐसे में मार्बल का वितरण अत्यन्त ही आवश्यक है। ऐसे में निदेश दिया गया कि मार्बल की 5000 प्रतियों का वितरण बन्दोबस्त कार्यालयों में अविलम्ब कराना सुनिश्चित किया जाय। नोडल पदाधिकारी संबंधित जिलों में भ्रमण पर जाते हैं तो मैजिक की प्रति वितरण हेतु उन्हें उपलब्ध करायी जाय।

(ii) अधोहस्ताक्षरी द्वारा मैजिक की छपाई के संबंध में पृच्छा करने पर विशेष सर्वेक्षण कोषांग के प्रभारी द्वारा बताया गया कि इसकी सॉफ्ट कॉपी जिलों को उपलब्ध करा दी गयी है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि इसकी छपाई हेतु संबंधित को पीत-पत्र के माध्यम से सॉफ्टकॉपी उपलब्ध करायी जाय।

(ग) महत्वपूर्ण पत्रों के संकलन की छपाई -

महत्वपूर्ण पत्रों के संकलन की छपाई के संबंध में विशेष सर्वेक्षण कोषांग के प्रभारी को निदेश दिया गया कि निदेशालय स्तर से निर्गत महत्वपूर्ण निदेश/पत्र/आदेश/अधिसूचनाएँ आदि को शीघ्र संकलित किया जाय ताकि अर्द्धवार्षिक अधार पर किताब (कॉम्पेडियम) के रूप में इसकी शीघ्र छपाई सुनिश्चित की जा सके। पूर्व में निदेशालय स्तर से दो वाल्यूम में छपाई की गयी महत्वपूर्ण पत्रों आदि को भी किताबों (कॉम्पेडियम) के रूप में छपाई कराने का निदेश दिया गया।

2. स्थापना संबंधी कार्य :-

(i) ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 के संबंध में पृच्छा करने पर कोई संतोषजनक जबाब नहीं दिया गया। इस संबंध में निदेश दिया गया कि ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 हेतु अगले चरण के लिए तिथि निर्धारित करते हुए सभी जिलों के बन्दोबस्त कार्यालयों एवं बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग को पत्र देना सुनिश्चित किया जाय जिसमें पिछली दोनों ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 की बैठकों का उल्लेख करते हुए निदेश दिया जाय कि यदि ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 से संबंधित कोई मामला लम्बित हो तो निदेशालय को निर्धारित तिथि के अन्दर उपलब्ध कराया जाय अन्यथा पूर्ण जबावदेही मानते हुए यह समझ लिया जाएगा कि ऐसा कोई मामला उक्त कार्यालय में नहीं है।

(ii) अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रशाखा पदाधिकारी को नवीनतम कार्य आवंटन के अनुसार संचिकाओं के प्रभार के आदान प्रदान से संबंधित प्रतिवेदन सोमवार दिनांक 06.09.2021 तक उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(iii) (क) संचिकाओं के स्कैनिंग के संबंध में पृच्छा करने पर श्री शशिरंजन प्रसाद, सहायक द्वारा बताया गया कि स्कैनिंग के क्रम में उनकी एक संचिका का दो पेज स्कैन ही नहीं हुआ है एवं दूसरी संचिका के पेज का orientation change है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्पष्ट रूप से निदेश दिया गया कि स्कैन किये गए संचिकाओं की शुद्धता की जिम्मेवारी संबंधित कार्यवाह सहायक की होगी। एजेंसी द्वारा जब संचिकाओं को स्कैन कर लिया जाता है तो संबंधित कार्यवाह सहायक का दायित्व होगा की वे e-Office में उपस्थापित किये जाने हेतु जब संचिका आई0टी0 विभाग को भेजने के पूर्व संचिका का अवलोकन कर आवश्यक ही आवश्यक हो ले कि संचिका ठीक ढंग से स्कैन की गयी है एवं कोई पेज छुटा हुआ नहीं है।

(ख) अत्यावश्यक संचिकाएँ जिसका स्कैनिंग नहीं किया जा सका है केवल वैसी संचिका ही भौतिक रूप से उपस्थापित की जाएगी। कुछ संचिकाओं को दो महिने के लिए e-Office से exempt किया गया है। इससे संबंधित अनुमोदन संचिका पर प्राप्त करने का निदेश प्रशाखा पदाधिकारी को दिया गया ताकि कोई संशय की स्थिति न हो।

(ग) वैसी संचिका जिसका आई0टी0 विभाग द्वारा माइग्रेट किया जा चुका है उसे e-Office में क्रियाशील बनाने हेतु संबंधित कार्यवाह सहायक e-Office में लॉगिन कर उक्त संचिकाओं से संबंधित आवश्यक विवरणी अंकित करते हुए Import करना सुनिश्चित करें।

(घ) e-Office से संबंधित उपलब्ध कराये गए पी0डी0एफ0 एवं प्रस्तुतीकरण का भी अध्ययन करने का निदेश निदेशालय के सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को दिया गया ताकि भविष्य में e-Office से संबंधित होने वाले प्रशिक्षण एवं इसमें कार्य करने में सहूलियत हो।

(ङ) अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि कार्यवाह सहायक/लिपिक द्वारा अपने-अपने प्रभार की सभी संचिकाओं का स्कैनिंग निश्चित रूप से दिनांक 30 सितम्बर, 2021 तक कराना सुनिश्चित करें। इस हेतु यदि आवश्यक हो तो स्कैनिंग का कार्य अवकाश के दिन भी जारी रखा जाय।

(iv) (क) आई0टी0 कोषांग के प्रोग्रामर को पुनः निदेश दिया गया कि R2R सॉफ्टवेयर में निदेशालय को प्राप्त Verification Certificate को भी संबंधित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के साथ Attach करने का प्रावधान किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(ख) त्यागपत्र स्वीकृत किये गए विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को R2R सॉफ्टवेयर में Disable करने के संबंध में पृच्छा करने पर संबंधित द्वारा बताया गया कि यह कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है अतः इसमें किसी प्रकार का विलम्ब न करते हुए इस कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(v) (क) बन्दोबस्त कार्यालयों के स्थापना/लेखा/न्यायालय आदि अन्य मामलों की समीक्षा हेतु ऑनलाईन प्रपत्र के संबंध में पृच्छा करने पर संबंधित प्रोग्रामर द्वारा बताया गया कि इसे तैयार कर लिया गया है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि सभी 38 जिलों के बन्दोबस्त कार्यालयों एवं बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग से प्रतिवेदन ऑनलाईन उपलब्ध कराने हेतु पत्र एवं यूजर मैनुअल/लॉगिन आई0डी0/पासवर्ड आदि संबंधित कार्यालय को भेजने का निदेश दिया गया ताकि आवश्यक सूचना ऑनलाईन प्राप्त हो सके।

(ख) अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रशाखा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिलावार Pendency List तैयार किया जाय ताकि जब जिलों का भ्रमण किया जाता है तो उसे उपलब्ध कराया जाय। इससे Pending मामलों के निष्पान में तीव्रता आएगी।

(vi) अधोहस्ताक्षरी द्वारा विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के अवधि विस्तार के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि कुछ बन्दोबस्त कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सूचना न भेजकर अन्य तरह के प्रपत्र में सूचना भेजी जा रही है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस संबंध में निदेश दिया गया कि ऐसा प्रपत्र भेजने वाले बन्दोबस्त कार्यालयों के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) से कारण पृच्छा करते हुए वेतन स्थगित करने का निदेश दिया गया। जिस बन्दोबस्त कार्यालय से अवधि विस्तार से संबंधित प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं वहाँ दूरभाष/मोबाईल से वार्ता कर शीघ्र प्रपत्र मंगाते हुए इस महत्वपूर्ण मामले को शीघ्र निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

(vii) पृच्छा करने पर बताया गया कि कबाड़ हटाने संबंधी कार्रवाई अभी भी लम्बित है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि उक्त से संबंधित सूचना प्रकाशित कराने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्रवाई कर मामले को निष्पादित किया जाय।

(viii) प्रशिक्षण से सम्बन्धित सभी विपत्रों का GoI राशि से समायोजन से संबंधित प्रस्ताव के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि इसे तैयार कर लिया गया है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु संचिका में प्रस्ताव उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

(ix) लाईब्रेरी में संधारण करने हेतु क्रय किये जाने वाले पुस्तकों की सूची शीघ्र उपस्थापित करने का निदेश संबंधित को अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिया गया।

(x) अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा लॉग बुक की जाँच करते हुए प्रतिवेदन साप्ताहिक बैठक में उपलब्ध कराया जाय।

3. **विभागीय कार्यवाही** – विभागीय कार्यवाही/आरोप/सेवान्त लाभ आदि के संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि लम्बित मामलों के निष्पादन में प्रगति लायी जाय। विभिन्न जिलों से शिकायती पत्र प्राप्त हो रहे हैं जिसके संबंध में निदेश दिया गया कि इसमें विलम्ब नहीं किया जाय एवं प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय। विभागीय कार्यवाही/आरोप/सेवान्त लाभ आदि के संबंध में निम्न जानकारी संबंधित कर्मियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी :-

विषय	इस सप्ताह प्राप्त मामला	पूर्व में प्राप्त मामला	कुल मामला	पूर्व में निष्पादित मामला	इस सप्ताह निष्पादित मामला	कुल लम्बित मामला
विभागीय कार्यवाही	00	17	17	00	06	11
आरोप	00	32	32	00	00	32
सेवान्त लाभ	00	10	32	00	00	32

संबंधित द्वारा अधोहस्ताक्षरी को बताया गया कि विभागीय कार्यवाही से संबंधित लम्बित मामला निम्न है-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	पदस्थापन कार्यालय	आरोप	अभ्युक्ति
1	श्री वासुकीनाथ प्रसाद, उ०व०लि०	बन्दोबस्त कार्यालय, भागलपुर	तीन सेवानिवृत्त कर्मियों के सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का प्रस्ताव नहीं भेजने के संबंध में।	अधिगम प्राप्त
2	श्री देव नरायण लाल दास, उ०व०लि०	बन्दोबस्त कार्यालय, भागलपुर	फर्जी अभिलेख का नकल निर्गत करने का आरोप।	अधिगम प्राप्त

क्र० सं०	नाम/पदनाम	पदस्थापन कार्यालय	आरोप	अभ्युक्ति
3	श्री मंजर आलम, उ०व०लि०	बन्दोबस्त कार्यालय, भागलपुर	अनुशासनहीनता, कार्यालय का कार्य अवरूद्ध करने एवं अभिलेखागार में ताला बन्द करने का आरोप	अधिगम प्राप्त
4	श्री सुनील कुमार सिंह, कार्यकारी प्रधान लिपिक	बन्दोबस्त कार्यालय, भागलपुर	अनियमितता एवं उजरत भोगी अमीनों को चुपचाप अनुभव प्रमाण- पत्र निर्गत करने के संबंध में।	अधिगम प्राप्त
5	श्री सुधीर कुमार दास, स०ब०प०			अधिगम प्राप्त
6	श्री चितरंजन कुमार दास, उ०व०लि०	बन्दोबस्त कार्यालय, भागलपुर सम्मति बन्दोबस्त कार्यालय, लखीसराय	अभिलेख में हेरा-फेरी करने के संबंध में।	अधिगम प्राप्त
7	श्री अविनाश किशोर, नि०व०लि०	बन्दोबस्त कार्यालय, मुजफ्फरपुर/खगड़िया	आदेशोल्लंघन के संबंध में।	अधिगम अप्राप्त
8	श्री राकेश कुमार सिन्हा, उ०व०लि०	बन्दोबस्त कार्यालय, भागलपुर	आदेश के अवहेलना आदि के संबंध में।	अधिगम प्राप्त
9	श्री निरज कुमार सिंह, उ०व०लि०	बन्दोबस्त कार्यालय, नालन्दा/प०चम्पारण (बेतिया)	अनाधिकृत अनुपस्थित रहने, कार्य के प्रति अभिरुचि नहीं रखने तथा कर्मचारी/पदाधिकारी के साथ उदण्ड आचरण के संबंध में।	अधिगम अप्राप्त
10	श्री उमाकान्त, नि०व०लि०	प्रचार्य, राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया	सरकारी कर्तव्यों से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के संबंध में।	अधिगम अप्राप्त
11	श्री विद्यासागर पासवान, कार्यालय परिचारी	बन्दोबस्त कार्यालय, बांका	अनाधिकृत अनुपस्थित रहने, अनुशासनहीन आचरण एवं अमद्र व्यवहार व कार्यालय का माहौल खराब करने आदि के संबंध में	निलम्बित

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि जिस कार्यालय से अधिगम लम्बित है वहाँ स्मार देकर आवश्यक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाय ताकि शीघ्र प्राप्त हो सके एवं पाँच अधिगम प्राप्त वाले मामले का निपटारा अगली बैठक के पूर्व किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

- सूचना के अधिकार से संबंधित** – अधोहस्ताक्षरी द्वारा सूचना के अधिकार से संबंधित लम्बित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का निदेश दिया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा पुनः निदेश दिया गया कि यदि सूचना का अधिकार निदेशालय से संबंधित नहीं हो तो संबंधित कार्यालय को शीघ्र Transfer करना सुनिश्चित किया जाय।
- न्यायालय संबंधी कार्य** :- सी०डब्लू०जे०सी०, एम०जे०सी०, एल०पी०ए० आदि मामलों को प्राथमिकता देते हुए निष्पादित करने का निदेश दिया गया। उक्त से संबंधित निम्न लम्बित मामला के संबंध में जानकारी संबंधित कर्मी द्वारा उपलब्ध करायी गयी :-

विषय	इस सप्ताह प्राप्त मामला	पूर्व में प्राप्त मामला	कुल मामला	इस सप्ताह निष्पादित	पूर्व में निष्पादित मामला	कुल लम्बित मामला
सी०डब्लू०जे०सी०	00	20	20	06	00	14
एम०जे०सी०	00	00	00	00	00	00
एल०पी०ए०	00	00	00	00	00	00
अन्य मामला	00	00	00	00	00	00

सी0डब्लू0जे0सी0 से संबंधित लम्बित मामलों की सूची निम्नवत उपलब्ध करायी गयी:-

वाद का प्रकार	वाद की संख्या/वर्ष	वादी का नाम	विभाग	करणत्व (संबंधित कार्यालय)	विषय	
1	2	3	4	5	6	
1	CWJC	CWJC No. -----/2017	श्री पंकज कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय	अपर समाहर्ता, समस्तीपुर अंचलाधिकारी, समस्तीपुर सदर	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के संबंध में
2	CWJC	CWJC No. -----/2017	श्री लक्ष्मण बनाम बिहार राज्य एवं अन्य		समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) / पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी)	पैतृक सम्पत्ति मौजा बंसतपुर थाना न0 11 / समनपुरा थाना न0 12 भूमि विवाद के संबंध में।
3	C.M	W.P No. 35881 /2017	मोहन लाल शर्मा एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य		समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, सिवान	उत्तर प्रदेश बिहार सीमा विवाद के संबंध में
4	CWJC	CWJC No -----/2019	उज्जवल कुमार सुमन बनाम बिहार राज्य एवं अन्य		समाहर्ता -सह- बन्दोबस्त पदाधिकारी, गया	Mutation of Land
5	CWJC	CWJC No 9410/2018	विजय दूबे बनाम बिहार राज्य एवं अन्य		समाहर्ता -सह- बन्दोबस्त पदाधिकारी, गोपालगंज	Khata No 74, Plot No - 313, Land - 17 Decimal, RoR
6	CWJC	CWJC No ...../ 2020	श्री राजीव कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य।	भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, दरभंगा / समस्तीपुर	सीमाकन कार्य के संबंध में।
7	CWJC	CWJC No ...../ 2021	श्री रामचन्द्र प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य।		समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, गया	गया जिले के मानपुर अंचल के मौजा नारो घाट में रिविजनल सर्वे में सुधार करने अर्थात् अनावाद बिहार सरकार तथा अनाबाद सर्वेसाधारण के खाते को अपने नाम से खाता खुलवाने से संबंधित है।
8	CWJC	CWJC No 11869/ 2021	श्री राम कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य।			पुनरीक्षित वेतनमान के संबंध में।
9	CWJC	CWJC No ...../2021	शारदा देवी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य।		जिलाधिकारी, भोजपुर (आरा)	जामबंदी पंजी-02 के संबंध में।
10	CWJC	CWJC No ...../ 2020	पुनम देवी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य।		समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, वैशाली, अंचलाधिकारी, राघोपुर, वैशाली	ग्राम राघोपुर एवं फतेहपुर का सीमाकन कार्य से संबंधित।
11	CWJC	CWJC No 4981/ 2020	विशाल कुमार मौर्या बनाम बिहार राज्य एवं अन्य।		निदेशालय, भू-अभिलेख एवं परिमाण	विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर नियुक्ति के संबंध में।
12	CWJC	CWJC No 10749/ 2020	श्री ऋषिकेश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य।		निदेशालय, भू-अभिलेख एवं परिमाण	विशेष सर्वेक्षण अमीन संविदा नियोजन के संबंध में।
13	CWJC	CWJC No 4160/ 2021	श्री वीरेन्द्र कुमार बिमल बनाम बिहार राज्य एवं अन्य।		निदेशालय, भू-अभिलेख एवं परिमाण	संविदा नियोजन अमीन के पद पर नियुक्ति के संबंध में।
14	CWJC	CWJC No 7312/ 2021	श्री विनीत कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य।		निदेशालय, भू-अभिलेख एवं परिमाण	विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर नियुक्ति के संबंध में।
15	CWJC	CWJC No 5390/ 2021	श्री अनुपम कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य।		निदेशालय, भू-अभिलेख एवं परिमाण	संविदा नियोजन अमीन के पद पर नियुक्ति के संबंध में।
16	CWJC	CWJC No 7260/ 2021	श्री राजेश बनाम बिहार राज्य एवं अन्य।		निदेशालय, भू-अभिलेख एवं परिमाण	संविदा नियोजन अमीन के पद पर नियुक्ति के संबंध में।

वाद का प्रकार	वाद की संख्या/वर्ष	वादी का नाम	विभाग	करणत्व (संबंधित कार्यालय)	विषय	वाद का प्रकार
17	CWJC	CWJC No 7790/ 2021	श्री श्याम नारायण ठाकुर बनाम बिहार राज्य एवं अन्य।	भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय	निदेशालय, भू-अभिलेख एवं परिमाण	संविदा नियोजन अमीन के पद पर नियुक्ति के संबंध में।
18	CWJC	CWJC No 7652/2020	श्री अभिषेक कुमार बिहार राज्य एवं अन्य।		निदेशालय, भू-अभिलेख एवं परिमाण	विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर नियुक्ति के संबंध में।
19	CWJC	CWJC No ...../2021	श्री शुभम कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य।		निदेशालय, भू-अभिलेख एवं परिमाण	विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर नियुक्ति के संबंध में।
20	CWJC	CWJC No 737/ 2021	श्री आशीष प्रकाश अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य।		निदेशालय, भू-अभिलेख एवं परिमाण	विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर नियुक्ति के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि लम्बित मामलों के निष्पादन की गति काफी धीमी है। उक्त न्यायालय से संबंधित लम्बित मामलों का शीघ्र निष्पादन का निदेश दिया गया।

6. नव नियोजित संविदा कर्मियों से संबंधित आरोप :- बन्दोबस्त कार्यालयों से प्राप्त आरोप विवरणी से संबंधित मामलों की अद्यतन स्थिति निम्न है :-

क्र० सं०	आरोपित कर्मचारियों का नाम/पदनाम	पदस्थापन कार्यालय	आरोप का संक्षिप्त विवरण	अद्यतन स्थिति	अभ्युक्ति
1	2	3	5	7	8
1	श्री वैभव गंगोत्री, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN02992	बन्दोवस्त कार्यालय, कटिहार	शिविर कुर्सेला के राजस्व ग्राम-बटेशपुर, थाना नं० -309 के विरुद्ध आरोप-पत्र के संबंध में।	निदेशालय पत्रांक -2447 दिनांक 17.08.2021 द्वारा स्पष्टीकरण हेतु भेजा गया है।	
2	श्री मंजय कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN03182	बन्दोवस्त कार्यालय, जहानाबाद	कार्य असंतोष जनक के विरुद्ध स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।	निदेशालय पत्रांक -2508 दिनांक 24.08.2021 द्वारा स्पष्टीकरण हेतु भेजा गया है।	
3	श्री अमित कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN04287				
4	श्री कविकान्त कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN03069				
5	श्री रितेश तिवारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN03619	बन्दोवस्त कार्यालय, अरवल	गलत आवासन पता देने के विरुद्ध स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।	निदेशालय पत्रांक -2518 दिनांक 24.08.2021 द्वारा स्पष्टीकरण हेतु भेजा गया है।	
6	श्री अरपित आनन्द, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN04216				
7	श्री सतनाम कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN00417				
8	श्री सौरभ कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN03817	बन्दोवस्त कार्यालय, मधेपुरा	कार्य में शिथिलता के विरुद्ध स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।	निदेशालय पत्रांक -2516 दिनांक 24.08.2021 द्वारा स्पष्टीकरण हेतु भेजा गया है।	
9	श्री अभिजीत कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN04577				
10	श्री अमन कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN03818				

क्र० सं०	आरोपित कर्मचारियों का नाम/पदनाम	पदस्थापन कार्यालय	आरोप का संक्षिप्त विवरण	अद्यतन स्थिति	अभ्युक्ति
11	श्री प्रभु कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN02389	बन्दोवस्त कार्यालय, मधेपुरा	कार्य मे शिथिलता के विरुद्ध स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।	निदेशालय पत्रांक -2516 दिनांक 24.08.2021 द्वारा स्पष्टीकरण हेतु भेजा गया है।	
12	श्री सुवंश कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN02578				
13	श्री प्रिय रंजन कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN02141				
14	सुश्री पूजा भारती, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN00399	बन्दोवस्त कार्यालय, सीतामढ़ी	अनुचित व्यवहार के विरुद्ध स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।	निदेशालय पत्रांक -2519 दिनांक 24.08.2021 द्वारा स्पष्टीकरण हेतु भेजा गया है।	
15	श्री अभिषेक कुमार पासवान, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN03887				
16	श्री विनोद कुमार राम, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN03246				
17	श्री सुजीत कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN02811	बन्दोवस्त कार्यालय, बाँका	शून्य प्रदर्शन के कारण वेतन स्थगित करने के संबंध में।	निदेशालय पत्रांक -2517 दिनांक 24.08.2021 द्वारा वेतन स्थगित हेतु भेजा गया है।	
18	श्री पंकज कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN03027				
19	श्री बेबी दास, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN03124				
20	श्री मोददशीर आलम, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN03095				
21	श्री प्रणव कुमार, विशेष सर्वेक्षण लिपिक ID No.-SCL01771	बन्दोवस्त कार्यालय, बाँका	शिविर कार्यालय अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति रहने के संबंध में।	निदेशालय पत्रांक -2551 दिनांक 26.08.2021 द्वारा स्पष्टीकरण हेतु भेजा गया है।	
22	सुश्री अनुपम भारती, विशेष सर्वेक्षण लिपिक ID No.-SCL01675	बन्दोवस्त कार्यालय, जहानाबाद	श्री विकास कुमार सिंह, विशेष सर्वेक्षण अमीन आई०डी० नं०- AEN00590, बन्दो० कार्या०, किशनगंज के विरुद्ध मानसिक उत्पीड़न हेतु स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।	निदेशालय पत्रांक -2521 दिनांक 24.08.2021 द्वारा स्पष्टीकरण हेतु भेजा गया है।	
23	श्री अनिल कुमार गुप्ता, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN02676	बन्दोवस्त कार्यालय, लखीसराय	कर्तव्यहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं वरीय पदाधिकारी के आदेशोलघन के संबंध में।	निदेशालय आदेश सं० -2589 दिनांक 27.08.2021 द्वारा संविदा अनुबंध रद्द किया गया है।	अनुबंध रद्द
24	श्री संजीव कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN02765			निदेशालय आदेश सं० -2588 दिनांक 27.08.2021 द्वारा संविदा अनुबंध रद्द किया गया है।	अनुबंध रद्द
25	श्री आनन्द कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN04204			निदेशालय आदेश सं० -2587 दिनांक 27.08.2021 द्वारा संविदा अनुबंध रद्द किया गया है।	अनुबंध रद्द

उक्त के संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि लम्बित मामलों के निष्पादन में तीव्रता लाते हुए शीघ्र मामले का निपटारा किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

7. लेखा संबंधी कार्य :-

(क) अधोहस्ताक्षरी द्वारा मासिक विपत्र यथा - विद्युत, दूरभाष आदि के भुगतान के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि संबंधित सारे विपत्रों का भुगतान ससमय किया जा रहा है।

इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि जैसे सभी प्रकार के निदेशालय से संबंधित विपत्र जिसका भुगतान प्रत्येक माह किया जाना होता है की सूची बनाकर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष शीघ्र समर्पित करें।

(ख) अधोहस्ताक्षरी द्वारा पुनः राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर के Admin Block एवं छात्रावास हेतु विद्युत मीटर अलग करने के संबंध में पृच्छा करने पर संबंधित सहायक द्वारा बताया गया कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है एवं अगली बैठक के पूर्व इस मामले को निष्पादित कर दिया जाएगा।

(ग) अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी लम्बित विपत्रों का भुगतान शीघ्र करने का निदेश दिया गया।

(घ) पूर्व में किये गए ऑडिट के संबंध में महालेखाकार कार्यालय द्वारा निदेशालय को पत्र प्राप्त हुआ है। उन पत्रों में उठायी गयी आपत्तियाँ का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाय।

उक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 हेतु ऑडिट कराने संबंधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

8. आगत शाखा से संबंधित :-

पृच्छा करने पर आगत शाखा द्वारा बताया गया कि वर्ष 2021 में निदेशक को सम्बोधित दिनांक 03.09.2021 तक कुल प्राप्त पत्रों की संख्या - 4275 है।

9. निर्गत शाखा से संबंधित :-

निर्गत शाखा के संबंध में पृच्छा करने पर संबंधित कर्मी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2021 में दिनांक 02.09.2021 तक कुल पत्र निर्गत पत्रों की संख्या - 2652 एवं पीत-पत्रों की संख्या - 130 है। उक्त सभी पत्रों को निबंधित डाक/सामान्य डाक/ई-मेल के माध्यम से संबंधित को उपलब्ध करा दिया गया है।

10. बेल्ट्रॉन से संबंधित :-

(क) अंचलों में कम्प्यूटर ऑपरेटरों के रिक्ति के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि 67 रिक्ति के विरुद्ध 30 कम्प्यूटर ऑपरेटरों की सेवा बेल्ट्रॉन द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। शेष हेतु अविलम्ब स्मार प्रेषित करने का निदेश दिया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि कुछ बड़े अंचलों में एक से अधिक ऑपरेटरों की सेवा की मांग की गयी है उसके संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय। उक्त के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा बेल्ट्रॉन के प्रभारी, मानव संसाधन एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कराने का निदेश दिया गया। इस हेतु बेल्ट्रॉन के स्तर से सभी लम्बित मुद्दों से संबंधित एजेण्डा तैयार करने का निदेश दिया गया।

(ख) पृच्छा करने पर बताया गया कि अंचल के कम्प्यूटर ऑपरेटरों के माह-मई, 2021 तक के मानदेय के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि लम्बित मानदेय की भुगतान के संबंध में शीघ्र संचिका उपस्थापित किया जाय ताकि उन्हें ससमय मानदेय प्राप्त हो सके।



11. बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट :-

(क) पूर्व की बैठक में निदेश के बावजूद बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के कर्मियों के remuneration बढ़ाने संबंधित प्रस्ताव उपस्थापित नहीं किया गया है। उक्त से संबंधित प्रस्ताव अगले बैठक के पूर्व शीघ्र उपस्थापित करने का निदेश प्रशाखा पदाधिकारी को दिया गया।

(ख) बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के लेखापाल के टैली सॉफ्टवेयर में किये जा रहे कार्यों का अवलोकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निदेश प्रशाखा पदाधिकारी को दिया गया।

12. अन्यान्य :-

कैथी मामले के संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि सारण बन्दोबस्त से इस संबंध में वार्ता कर निदेशालय को प्राप्त पत्र के आलोक में आवश्यक आवंटन उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव शीघ्र उपस्थापित किया जाय।

उक्त के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व की समीक्षात्मक बैठकों में दिये गए निदेश जिसका अनुपालन नहीं हो सका है को शीघ्र पूर्ण करने का निदेश एवं सभी कर्मियों को सम्बन्धित प्रतिवेदन के साथ ही बैठक में शामिल होने के निदेश के साथ अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(जय सिंह)  
निदेशक  
भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय,  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 92/गो

पटना, दिनांक 03-09-2021

प्रतिलिपि :- सहायक निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी/संबंधित कर्मियों, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय/राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

पटना, दिनांक 03-09-2021

ज्ञापांक :- 92/गो

प्रतिलिपि :- प्रभारी, आई0टी0 कोषांग, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं निदेशालय के वेबसाइट पर प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।

निदेशक